भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 118
दिनांक 20.7.2026 को उत्तर देने के लिए

गहराई में स्थित खनिज खंडों और खनिज विनिमय ढांचे की अधिसूचना

118. श्री रविचंद्र वद्दीराजू

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीनतम विधायी संशोधनों का ब्यौरा क्या है और पिछली तिमाही के दौरान गहराई में स्थित महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम) के लिए कितनी अंवेषण अनुज्ञप्तियों की नीलामी की गई है; और
(ख) ईंधन-रहित और कोयला-रहित महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक पारदर्शी और समरूप बाज़ार के निर्माण के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय खनिज विनिमय' स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा दिनांक 17.08.2023 से संशोधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) प्रदान करने के प्रावधानों को शामिल किया गया है। पिछली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में, खान मंत्रालय ने गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 4 गवेषण अनुज्ञप्ति ब्लॉकों की नीलामी की है।

(ख): खान मंत्रालय ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 18ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों सहित गैर-ईंधन और गैर-कोयला प्रमुख खनिजों के लिए दिनांक 30.06.2026 को खनिज एक्सचेंज नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।
